कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here



सविनय अवज्ञा की सीमाएँ

- हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए स्वराज के मायने अलग-अलग थे।
- कुछ समूह तो स्वराज की अवधारणा से प्रभावित ही नहीं थे।

दलित :-

- ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के 'अछूतों' का था जो 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे।
- कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं से डरी हुई थी।
- लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता (छुआछूत) को खत्म किए बिना सौ साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती।
- गाँधी जी ने 'अछूतों' को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया।
- उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया।
- मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे।
- उन्होंने ऊँची जातियों से कहा कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और 'अस्पृश्यता के पाप' को छोड़ें।
- लेकिन दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूँढ़ना चाहते थे।
- वे खुद को संगठित करने लगे।
- उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की माँग की जहाँ से केवल दलित ही विधायी परिषदों में चुनकर जा सके।
- उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तीकरण से ही दूर हो सकती है।
- इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी।

डॉ. अंबेडकर :-

- डॉ. अंबेडकर ने 1930 में दलितों को ''दमित वर्ग एसोसिएशन'' (Depressed Classes

LET'S LEARN TOGETHER
Download Mission Gyan App

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here

कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here

Association) में संगठित किया।

- दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की अंबेडकर की माँग मान ली तो गाँधीजी आमरण अनशन पर बैठ गये।
- गाँधीजी का मानना था कि इससे समाज के एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जायेगी।
- आखिरकार अंबेडकर ने गाँधीजी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए।
- इस पूना-पैक्ट से दलितों को प्रांतीय एवं केन्द्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गयीं।
- फिर भी, दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा।

मुस्लिम वर्ग :-

- असहयोग-खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था।
- 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस तथा हिंदू महासभा काफी करीब दिखने लगी थी।
- जैसे-जैसे हिंदू-मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, वैसे-वैसे दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, जिससे सांप्रदायिक दंगे हुए तथा दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया।
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1927 में एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी।
- सबसे महत्त्वपूर्ण मतभेद प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे।
- मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि (i) मुस्लिमों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएँ
  तथा (ii) मुस्लिम बहुल प्रांत (बंगाल और पंजाब) में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए।
- यह बहस चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा कर इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएँ समाप्त कर दीं।
- जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था।
- मुसलमानों का बड़ा तबका संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था।
- बहुत सारे मुस्लिम नेता भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे।
- 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इक़बाल ने मुसलमानों के अल्पसंख्यक हितों के लिए पृथक निर्वाचिका की ज़रूरत पर एक बार फिर ज़ोर दिया।
- माना जाता है कि पाकिस्तान की माँग के लिए जो आवाज़ उठी उसकी उपज यही बयान था जिसमें कहा गया इस प्रकार था -

  ''मुझे यह कहने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर

भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here

कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here

पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा।

- प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है।
- यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है।
- जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति-रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ।
- कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासक स्थलों की भी रक्षा करूँगा।
- लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है...।
- यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बँटी हुई नहीं हैं। भारत के सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता।
- भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही माँग बिल्कुल सही है...।
- 'हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है क्योंकि वह मानता है कि "राष्ट्र" शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं।
- भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर हैं, उन पर भारी कर्ज़ हैं, खासतौर से पंजाब में और कई प्रांतों में उसकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है।'

'क्रांति की इस पूजा-वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाये हैं''

Download Mission Gyan App

- बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया जा सकता।
- 1928 में दिल्ली के फिरोजाबाद कोटला मैदान में हुई बैठक में 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' (H.S.R.A.) की स्थापना की गई।
- इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजॉय घोष शामिल थे।
- देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयाँ करते हुए (H.S.R.A.) ने कई सरकारी प्रतीकों को निशाना बनाया।
- 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 'लेजिस्लेटिव असेंबली' पर बम फेंका।

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here

कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here

- उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लार्ड इरविन यात्रा कर रहे थे।
- जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फाँसी दी गई उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी।
- अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं।

6 जून - 1929 दिल्ली में भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त का 'बमकांड पर सेंशन कोर्ट में बयान:-
क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।
श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है।
इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जायेगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे।
क्रांति की इस पूजा-वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य रूप में लाये हैं। क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है।
हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं।
''इंकलाब जिन्दाबाद''

कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ

1918-19	बाबा रामचंद्र अवध (उ.प्र) के किसानों को संगठित करते हैं।
अप्रैल 1919	रॉलट एक्ट के खिलाफ गाँधीवादी हड़ताल, जलियाँवाला बाग हत्याकांड
जनवरी 1921	असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू
फरवरी 1922	चौरी चौरा कांड : असहयोग आंदोलन वापस
मई 1924	अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी; दो वर्ष से चला आ रहा आदिवासी किसान संघर्ष समाप्त।
दिस. 1929	लाहौर-अधिवेशन; कांग्रेस, पूर्ण स्वराज की माँग को अधिवेशन में स्वीकार किया गया।
मार्च 1930	गाँधीजी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं।
मार्च 1931	गाँधीजी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हैं।
दिस. 1931	दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें भाग लेने गाँधीजी लन्दन गये।
1932	सविनय अवज्ञा आंदोलन पुन: प्रारम्भ। जो 1934 के आते-आते मंद पड़ने लग गया था।

Download Mission Gyan App

भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here